न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 14/2020 दायर दिनांक 19.02.2020

ईशर पुत्र उमाराम जाति मेघवाल निवासी राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिव कुमार
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः 20.04.2022

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 250 बाबत खातेदारी सनद अपीलांट के नाम से वाके चक 4 पीपीएन के प.न. 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 ता 25 का कुल योग 4.8070 है0 के स्थान पर 4.048 है0 दर्ज किया गया है जो कि मूल रिकार्ड व प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतो व विधि विरूद्व होने से काबिल दुरूस्ती है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ से जैर अपील इंतकाल संख्या 250 स्वीकृत दिनांक 21.2.14 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिव कुमार उपस्थित हुए व रेस्पो0 पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अपीलांट को तहसील सूरतगढ़ के चक 4 पीपीएन के पत्थर न. 132/48 के किला न. 1 ता 7 में 7 बीघा यानी 1.771 है0 किला न. 14 ता 25 में 12 बीघा यानी 3.036 है0 कुल 19 बीघा यानी 4.8070 है0 आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा.न.यो. सूरतगढ़ की मिसल संख्या 26/77 अनवान ईशर पुत्र उमाराम द्वारा दिनांक 17.8.83 को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन की सनद संख्या 2911 दिनांक 02.8.2013 को जारी करते समय आवंटन एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा सहवन से चक 4 पीपीएन के पत्थर 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 ता 25 की बजाय पत्थर 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 ता 15 अंकित कर खातेदारी सनद जारी कर दी। तत्पश्चात न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ के संशोधन आदेश कमांक/आवंटन/खातेदारी–सनद/2911/02.8.13/95 दिनांक 15.01.2014 द्वारा उक्त सनद कमांक 2911 दिनांक 02.8.2013 में संशोधन करते हुए चक 4 पीपीएन के पत्थर न. 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 से 15 की बजाय 1 से 7, 14 से 25 दुरूस्त करने के आदेश प्रदान कर दिये गये थे। उक्त सनद संख्या 2911 स्वीकृति दि. 02.8.13 व संशोधन आदेश कमांक 95 दिनांक 15.01.14 के आधार पर इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा लिपिकी त्रुटि करते हुए चक 4 पीपीएन के पत्थर न. 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 ता 25 कुल योग 4.8070 है0 के स्थान पर 4.048 है0 दर्ज कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के इंतकाल संख्या 250 स्वीकृत दिनांक 21.02.2014 में गलत स्वीकृत किया गया है जो खारिज किया जावे।
4. अपीलांट को केसीसी बनाने के लिए बैक से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम भूमि के योग में गलती का ज्ञान हुआ, इसके बाद पटवारी हल्का से सम्पर्क कर दिनांक 07.2.2020 को इंतकाल की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट द्वारा जानबुझ कर कोई देरी नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

की गई। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 250 स्वीकृत दिनांक 21.02.2014 निरस्त किया जावे।

5. पैरोकार राज ने बहस में कथन किया कि उक्त इंतकाल दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटि हुई है यदि अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु अपील के साथ धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 द्वारा ना तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की है एवं ना ही कोई प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोष जनक प्रतीत होता है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह पाया कि अपीलांट को तहसील सूरतगढ़ के चक 4 पीपीएन के पत्थर न. 132/48 के किला न. 1 ता 7 में 7 बीघा यानी 1.771 है0 किला न. 14 ता 25 में 12 बीघा यानी 3.036 है0 कुल 19 बीघा यानी 4.8070 है0 आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा.न.यो. सूरतगढ़ की मिसल संख्या 26/77 अनवान ईशर पुत्र उमाराम द्वारा दिनांक 17.8.83 को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन की सनद संख्या 2911 दिनांक 02.8.2013 को जारी करते समय आवंटन एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा सहवन से चक 4 पीपीएन के पत्थर 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 ता 25 की बजाय पत्थर 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 ता 15 अंकित कर खातेदारी सनद जारी कर दी। जिसका आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ के संशोधन आदेश कमांक/आवंटन/खातेदारी–सनद/2911/02.8.13/95 दिनांक 15.01.2014 द्वारा उक्त सनद कमांक 2911 दिनांक 02.8.2013 में संशोधन करते हुए चक 4 पीपीएन के पत्थर न. 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 से 15 की बजाय 1 से 7, 14 से 25 दुरूस्त करने के आदेश प्रदान कर दिये गये थे। उक्त सनद संख्या 2911 स्वीकृति दि. 02.8.13 व संशोधन आदेश कमांक 95 दिनांक 15.01.14 के आधार पर इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का चक 4 पीपीएन के पत्थर न. 132/48 के किला न. 1 ता 7, 14 ता 25 कुल योग 4.8070 है0 के स्थान पर 4.048 है0 दर्ज कर दिया जो भूलवंश लिपकीय त्रुटि होना प्रतीत होता है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2069–72 मे भी पत्थर न. 132/48 का किला न. 14 ता 25 की 0.036 है0 भूमि अपीलांट के नाम दर्ज है। पैरोकार राज द्वारा भी उक्त इंतकाल में लिपिकीय त्रुटि होना माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ द्वारा इंतकाल 250 स्वीकृत दिनांक 21.2.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 250 स्वीकृत दिनांक 21.02.2014 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को इस आश्य के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः सुनवाई कर व रिकार्ड का अवलोकन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलावासिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)